कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
(State Organ And Tissue Transplant Organization)

कार्यालय दूरभाष नंबर :– 0731–2527383, 2527679 ईमेल :– deanliabrary@gmail.com

क्र. /स्था/सोटो/2022 इन्दौर, दिनांक

//कार्यालय आदेश//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र कमांकः एफ 1–15/2018/55–2 दिनांक 04.10.2018 अनुसार सोटो (State Organ And Tissue Transplant Organization) के लिये नियमित पदो के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत रिक्त पदों हेतु विज्ञापन कमांक 7618/सोटो/2021 दिनांक 19.05.2021 जारी किया गया। विज्ञापन के तारतम्य में गठित स्कुटनी समिति द्वारा दिनांक 19.10.2022 को मूल दस्तावेज परीक्षण (स्कुटनी) किया गया तत्पश्चात मेरीट तैयार कर अनुसूची अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से निर्धारित **19500–62000 वेतनमान** में एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्तों पर **शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्याल इन्दौर के अधीन सोटो (State Organ And Tissue Transplant Organization)** के अंतर्गत निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद	चयनित श्रेणी	वेतनमान	पदस्थापना स्थल
1	श्री शुभम वर्मा	सहायक वर्ग–3 (Transplant Coordinator)	अनारक्षित	19500–62000 (सातवां वेतनमान)	चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के अधीन सोटो

1. म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ–9/3/2005/ नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगें। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ–5/1/2005/नियम /चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगें ।
2. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
4. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त कर्मचारी सेवा में रखे जाने के योग्य नही है तो दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाए किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह में मिलने वाले वेतन तथा भत्तें इत्यादी की राशि देकर समाप्त की जा सकती है। यही शर्त उम्मीदवार द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने पर लागू होगी।
6. **म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी 3 –13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि मे उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रांरभ किया जाएगा ।**
7. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
8. नियुक्ति प्रकिया में नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
9. शासकीय स्वशासी संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
10. चयनित प्रत्याशी के विरूद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण की कार्यवाही लंबित/प्रचलित होने पर प्रकरण में संल्प्तिता पाई जाती है या दोषी घोषित किया जाता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु चयनित प्रत्याशी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. आपकी नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा शासकीय स्वशासी संस्था के गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के सेवा शर्तो के अधीन तथा स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
12. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण –पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र, दो सेवा पुरितका तथा रू.3/– का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
13. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
14. किसी अन्य संस्था में पदस्थ होकर कार्यरत होने पर उस संस्था से त्यागपत्र स्वीकृत करावा कर प्रस्तुत करना होगा।
15. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता
शास. स्व. म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर
एवं संबंद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था,इन्दौर

पृ. क्र. 18338-43 /स्था/सोटो/2022 इन्दौर, दिनांक 21/11/22

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय इन्दौर ।
4. नोडल अधिकारी सोटो शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी 3 –13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि मे उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का **प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि** स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।
6. **संबंधित श्री शुभम वर्मा, पताः–** 50 अजय बाग, कॉलोनी, अलकापुरी, मुसाखेड़ी एक्स, इन्दौर, म.प्र. पिन–452001।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता
शास. स्व. म.गॉ. स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर
एवं संबंद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था,इन्दौर